

- मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत तीन अधिनियमित कानूनों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है।
- द्वीपसमूह से यू पी एस सी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार जोहरा बानू का मानना है कि कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और निर्णय लेने की क्षमता के साथ आगे बढ़ने से सफलता अवश्य मिलती है।
- अंडमान निकोबार पुलिस ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने के संबंध में सार्वजनिक सलाह जारी की है।
- रोटरी क्लब पोर्ट ब्लेयर की ओर से कल पंचायत भवन शोलबे में निशुल्क स्वास्थ्य और दंत शिविर का आयोजन किया जाएगा।
- बास्केट बॉल एसोसिएशन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की ओर से बाईस अप्रैल को चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><>

मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाल ही में अधिनियमित नए आपराधिक कानूनों का लागू होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में नए आपराधिक कानूनों का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है।

<><><><><><>

द्वीपसमूह से यू पी एस सी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार जोहरा बानू का मानना है कि कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और निर्णय लेने की क्षमता के साथ आगे बढ़ने से सफलता अवश्य मिलती है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए और आखिर में उन्हें सफलता मिल ही गई। उन्होंने कहा कि आशावादी दृष्टिकोण और हौसले को मजबूत बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इससे पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने द्वीपों के युवाओं से इस तरह की परीक्षा में शामिल होने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे द्वीपों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और ऐसे लोग द्वीपों के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने के संबंध में सार्वजनिक सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में व्हाट्सएप और अन्य स्रोतों पर कॉल के माध्यम से व्यक्तियों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। कानूनी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर जालसाज निर्दोष लोगों से पैसे लेने की रणनीति को अपनाते हैं। ऐसे धोखेबाज कॉल करने वाले व्यक्तियों को झूठी सूचना देते हैं कि उनके बेटे या बेटी गंभीर कानूनी मामलों में फंस गए हैं और माता-पिता की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनसे बच्चों की रिहाई के बदले पैसे की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज के छात्रों के अपहरण की झूठी सूचना देकर फिरौती के मांग के मामले भी सामने आए हैं। धोखाधड़ी वाले कॉल अक्सर प्लस नौ दो वाले नम्बरों से आती है। पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे ऐसे कॉल का जवाब न दें और सावधानी बरतें। विशेषकर अज्ञात नम्बरों से अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी और पूछताछ के लिए साइबर अपराध पुलिस थाना से संपर्क करने को कहा गया है।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से द्वीपों को नशामुक्त बनाने के प्रयासों के तहत इसकी विभिन्न इकाईयों की ओर से लगातार मुहिम चलाकर मादक पदार्थों को ज़ब्त किया गया है। ऐसे पदार्थों को समय-समय पर नष्ट भी किया जाता रहा है। हाल ही में विभिन्न पुलिस थानों में चार मामलों के तहत ज़ब्त किए गए बत्तीस किलो से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। सी आई डी इकाई की ओर से आला अधिकारियों की निगरानी में इन नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन किया गया।

रोटरी क्लब पोर्ट ब्लेयर की ओर से कल पंचायत भवन शोलबे में निशुल्क स्वास्थ्य और दंत शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान दंत सर्जन और विशेषज्ञ के अलावा स्त्री रोग तथा सामान्य रोग के डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे।

दक्षिण अंडमान ज़िले में एच, एच वन और एक्स दवाओं की बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को अपने दुकानों के भीतर और बाहर सीसी टी वी कैमरा स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने नियमों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि ज़िले के ऐसे सभी मेडिकल स्टोर, दवा की दुकाने, जहां अधिसूचित एच, एच वन और एक्स दवाओं की बिक्री की जाती है, उन्हें कैमरा लगाने को कहा गया है। स्थापित कैमरे की फुटेज की कभी भी राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण यानी स्वास्थ्य सेवा निदेशक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की ओर से बेतरतीब जांच की जाएगी। जो दवाई दुकान मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पदनामित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस और दवा निरीक्षक की सहायता से आदेश का पालन किया जाएगा और रिपोर्ट जमा किया जाएगा।

इंदौर में आठ से चौदह मई तक आयोजित होने वाले अट्ठारह वर्ष से कम राष्ट्रीय बास्केट बॉल चैम्पियनशिप के लिए द्वीपसमूह से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। बास्केट बॉल एसोसिएशन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की ओर से बाईस अप्रैल को चयन ट्रायल का आयोजन होगा।

अंडमान निकोबार टीचर्स एसोसिएशन ने उप-शिक्षा निदेशक-विज्ञान एम. नेहरू के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका आज सुबह निधन हो गया। वे उनसठ वर्ष के थे।

मालवाहक जहाज एम वी चुगलुम तेईस अप्रैल को शाम तीन बजे चाथम या जंगलीघाट जेट्टी से कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कच्छाल और ननकौड़ी होते हुए कैम्पबेल बे जाएगा और इन बंदरगाहों पर माल उतारने के बाद तुरंत इसकी वापसी होगी। माल चढ़ाने का कार्य कल से आरंभ होगा।

दक्षिण अंडमान क्षेत्र में बिना वाटर मीटर स्थापित किए बड़ी मात्रा में पानी निकालने वाले कम्पनियों को वाटर मीटर लगाने की चेतावनी दी गई है। उन्हें वाटर मीटर लगाए जाने तक टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति न करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने ऐसे सभी जल आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे भूजल निकालने के लिए बने नियम-कानूनों का पालन करें। पेयजल के अलावा किसी अन्य कार्यों के लिए भूजल निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये अनुमति इस उद्देश्य के लिए गठित परामर्श समिति के साथ परामर्श करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रदान की जाएगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि द्वीपों में अवैध तरीके से भूजल निकाले जाने के कारण पानी की समस्या का हमने सामना किया है। उन्होंने थोक जल आपूर्तिकर्ताओं से केन्द्रीय भूजल एजेंसी के पास अपने आप को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने को कहा। भूजल प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए एन ओ सी प्राप्त करने के वास्ते दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा।

<><><><><><><>